राजभाषा

राजभाषा प्रकोष्ठ

1. क) राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

   ख) अभातशिप द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियमों का अनुपालन

   राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों के नियमों का अनुपालन

   - *राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)*
   - *नियम 5 का अनुपालन*

   वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं का अनुपालन

   - *राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एवं बैठकें*
   - *अभातशिप में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन*
   - *हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा*
   - *विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन*
   - *द्विभाषी प्रकाशन*
   - *हिन्दी प्रोत्साहन योजनाएं*

2. महत्वाकांक्षी तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना

   - *पृष्ठभूमि*
   - *पुरस्कारों का वर्तमान स्वरूप*
   - *योजना से संबंधित अन्य जानकारी (योजना का नाम, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, भाग लेने की पात्रता, सामान्य शर्तें, मूल्यांकन समिति, आवेदक/आवेदकों द्वारा ध्यान देने योग्य मुख्य बातें)*

3. हिन्दी प्रोत्साहन संबंधी भावी योजनाएं

   - *तकनीकी कार्यशाला का आयोजन*
   - *वार्षिक तकनीकी हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन*
   - *विश्व हिन्दी दिवस को व्यापक स्तर मनाने की योजना*
   - *प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार*
   - *हिंदी से संबंधित तथा अनुवाद से संबंधित सॉफ्टवेयर*
   - *राष्ट्रीय स्तर की हिंदी संगोष्ठी के आयोजन का प्रस्ताव*
   - *तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना को और अधिक विस्तृत बनाने*

"राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है।" — ***डॉ० जाकिर हुसैन***

(क) राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना संघ का कर्तव्य है, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की–अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा सरकार द्वारा इसे कार्यान्वित किए जाने हेतु उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन संबंधित रिपोर्ट मंत्रालय को भेजे जाने हेतु निर्देश दिए जाते हैं।

राजभाषा हिन्दी की समृद्धि एवं हिन्दी को भारत के समस्त परिदृश्य में गौरवान्वित रूप से समाविष्ट करने के उद्देश्य से निर्मित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम का अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों से इनके अनुपालन की अपेक्षा की जाती है (राजभाषा विभाग वेबसाईट: http://rajbasha.nic.in पर उपलब्ध) जिनका अभातशिप द्वारा यथासंभव अनुपालन किया जाता है।

÷÷ हिन्दी में काम कितना आसान, शुरू तो कीजिए ÷÷

(ख) अभातशिप द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियमों का अनुपालन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् राजभाषा हिन्दी का पूरा सम्मान करती है। परिषद् माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य–सचिव महोदय के कुशल निर्देशन में राजभाषा नियमों, अधिनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु यथासंभव प्रयासरत रहती है :–

राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों के नियमों का अनुपालन

(i) **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)** के अंतर्गत जारी किये जाने वाले सभी दस्तावेजों का कैलण्डर सभी अधिकारियों को अपने सामने लगाने अथवा मेज के शीशे के नीचे रखने के लिए दिया जाता है ताकि उन्हें इन दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना याद रहे तथा वर्ष में दो तीन बार उच्च अधिकारियों के माध्यम से धारा 3(3) के अनुपालनार्थ आदेश जारी किये जाते हैं ताकि उपरोक्त का यथासंभव अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) **नियम 5 का अनुपालन** : अभातशिप मुख्यालय में नियम 5 जोकि हिन्दी के पत्रों के उत्तर हिंदी में देने से का पूर्णतः अनुपालन करने का यथासंभव प्रयास किए जाते है।

वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं का अनुपालन

(i) **राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पत्राचार** : 'क' क्षेत्र से अधिक से अधिक पत्राचार हिन्दी में करने के यथासंभव प्रयास किए जाते हैं तथा 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं।

(ii) **अनुभागों का निरीक्षण** : कार्यालय की कार्यविधि में हिन्दी में कार्य करने को बढ़ावा देने हेतु आंतरिक ब्यूरो एवं अनुभागों को निरीक्षण के दौरान उनकी रिपोर्ट में पाई गई कमियों को बताया जाता है तथा उनको सुधारने हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

(iii) **क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण** : इस वर्ष कानपुर तथा चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) **वेबसाईट** : अभातशिप की वेबसाईट को द्विभाषी बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(v) **हिन्दी पुस्तकों की खरीद** : वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

(vi) **कम्प्यूटरों पर हिन्दी में काम करने की सुविधा** : मुख्यालय के सभी कम्प्यूटरों में हिंदी में कार्य को सुविधाजन्य बनाने हेतु हिंदी फोंट उपलब्ध करवाए गए हैं तथा कुछ कम्प्यूटरों में हिंदी के सॉफ्टवेयर डाले गए हैं एवं यूनीकोड की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(vii) **कार्यसाधक ज्ञान** : अभातशिप के लगभग सभी कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तथा कार्यालय को 8(4) के अधीन अधिसूचित किया गया है।

(viii) **प्रशिक्षण** : यद्यपि अभातशिप में दिन प्रतिदिन होने वाले समयबद्ध कार्य के अनुसार स्टॉफ की कमी है तथापि राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यथासंभव कर्मचारियों को नामित करने के प्रयास किये जाते हैं।

(ix) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण** : मुख्यालय की हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को भेजी जाती है। अभातशिप के सभी ब्यूरो एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा सभी को हिंदी के कार्य में प्रगति हेतु सुझाव दिए जाते हैं। हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को यथासंभव समय पर भेजने के प्रयास किए जाते हैं।

(x) **मंत्रालय के आदेशों एवं निदेशों का अनुपालन** : मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राजभाषा अनुभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित दिए गए निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यालय में क्रियान्वित किया जाता है।

(xi) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जनशक्ति एजेंसी से भर्ती किए जाने वाले स्टॉफ में हिन्दी अथवा द्विभाषी टंककों और आशुलिपिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

(xii) अभातशिप मुख्यालय में लेखन सामग्री, नाम पट्ट, सूचना–पट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र आदि यथासंभव हिंदी–अंग्रेजी में बनवाए जाते हैं।

(xiii) अभातशिप द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षाएं तथा साक्षात्कार स्वेच्छा से हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं।

(xiv) वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में अध्यक्ष महोदय, सदस्य–सचिव महोदय इत्यादि के भाषण यथासंभव अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी तैयार करने का प्रयास किया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एवं बैठकें

राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 का समुचित अनुपालन करने तथा परिषद् में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिषद् में सदस्य सचिव अभातशिप की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है ताकि हिन्दी के

प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। समिति की नियमित बैठके की जाती हैं तथा हिन्दी कार्यान्वयन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना, आरंभ करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में ही लिया गया। इस समिति की पिछली बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2012 को आयोजित की गई। जिसमें हिंदी को तकनीकी रूप से विकसित करने के उद्देश्य से हिंदी से संबंधित तथा अनुवाद से संबंधित सॉफ्टवेयर इत्यादि को मौलिक रूप से विकसित करने हेतु अभातशिप द्वारा निधियन (फन्डींग) किए जाने की योजना बनाए जाने संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

अभातशिप में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

अभातशिप में संवैधानिक अपेक्षानुसार परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियमों, अधिनियमों की जानकारी प्रदान करने तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट को सही स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरने और हिन्दी में कार्य करने के समक्ष होने वाली झिझक को दूर करने के उद्देश्य से यथासंभव कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2010 में भी अभातशिप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से, अभातशिप के समूह 'क' एवं 'ख' स्तर के अधिकारियों के लिए दिनांक 16 एवं 18 नवम्बर, 2010 को एक (दो अर्द्धदिवसीय) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के दौरान अधिकतर अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें उन्हें भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया गया। हिन्दी में कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए तथा हिन्दी में कार्य करने में आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ० (श्रीमति) अनीता भटनागर जैन द्वारा सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए तथा कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों को हिन्दी में सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित किया तथा अभातशिप की कार्यविधि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अभातशिप के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की गई।

हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसरण में तथा संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय में हिन्दी में कार्य करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी पखवाड़ा का भव्य उद्घाटन किया जाता है। जिसमें परिषद् के अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य–सचिव महोदय सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होते हैं। 14 सितम्बर से 30 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इस दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती हैं। अध्यक्ष

महोदय द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से सितम्बर माह में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का अनुरोध करते हुए परिपत्र जारी किया जाता है।

इसी क्रम में वर्ष 2011 में भी कार्यालय में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध लेखक एवं हिंदी विद्वान डॉ० पी. सी. टंडन, प्रोफेसर हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया तथा उन्होंने हिन्दी पखवाड़ा का उद्घाटन किया। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी न किसी रूप से हिन्दी पखवाड़ा के कार्यक्रमों में भाग लिया गया। सम्पूर्ण वातावरण को हिन्दीमय बनाते हुए अनेक हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :–

1. हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
3. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) प्रतियोगिता
4. प्रशासनिक शब्दावली एवं अनुवाद प्रतियोगिता
5. हिन्दी भाषण प्रतियोगिता
6. हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता
7. हिन्दी गीत/कविता पाठ प्रतियोगिता
8. हिन्दी प्रश्न मंच (क्विज) प्रतियोगिता

इन प्रतियोगिताओं में 250 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों को नगद पुरस्कार दिए गए। श्री रवि प्रकाश गुप्त, निदेशक, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हिन्दी पखवाड़ा के समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रो० एस.एस. मंथा द्वारा यह आहवान किया गया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी यथासंभव अपना अधिक से अधिक दैनिक कार्य हिन्दी में ही करें। अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य–सचिव महोदय द्वारा पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भी हिन्दी पखवाड़ा के आयोजन के निर्देश दिए जाते हैं।

विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन

10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस घोषित किया गया है। अभातशिप मुख्यालय में इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य–सचिव महोदय की उपस्थिति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें, अभातशिप के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यालय की कार्यविधि में हिन्दी को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव दिए गए। अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय द्वारा स्टॉफ को अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

द्विभाषी प्रकाशन

अभातशिप की वार्षिक रिपोर्ट, भर्ती नियम, अभातशिप अधिनियम, अभातशिप कार्य एवं प्रकार्य, सतर्कता मैनुअल इत्यादि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन किया गया है।

हिन्दी प्रोत्साहन योजनाएं

अभातशिप की कार्यविधि में हिन्दी में कार्य करने को प्रोत्साहित करने के उद्देशार्थ हिन्दी प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाती हैं जैसे :–

(क) वर्ष भर सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 'हिन्दी प्रोत्साहन योजना'

अभातशिप के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्षभर उनके सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ 'हिन्दी प्रोत्साहन योजना' के माध्यम से वर्षभर सरकारी काम–काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है ताकि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल तो बढ़े ही साथ ही उनसे प्रेरणा पाकर अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी अपने सरकारी कार्य में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित कर सकें।

(ख) अधिकारियों को अधिक से अधिक डिक्टेशन हिन्दी में देने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी पुरस्कार योजना

अभातशिप की कार्यविधि में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के अंतर्गत अधिकारियों को अधिक से अधिक डिक्टेशन हिन्दी में देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिन्दी डिक्टेशन प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है।

(ग) अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी आशुलिपि व टंकण कार्य करने वाले आशुलिपिकों तथा टाईपिस्टों को हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता देने संबंधी योजना

उन निजी सचिवों/निजी सहायकों, आशुलिपिकों और टाईपिस्टों/डी0ई0ओ0 को जो अग्रेंजी टाईप/आशुलिपि जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपना सरकारी कार्य करते हैं क्रमशः 300/– रूपये और 200/– रूपये प्रतिमाह विशेष भत्ता दिये जाने हेतु योजना लागू की जाती है।

"हमें अपनी भाषा की समृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों में योगदान देना चाहिए क्योंकि भाषा की उन्नति में ही समग्र संस्कृति की उन्नति छिपी है।"